

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)अवकाश / १५५८ /२०२०

दिनांक : ०४.०६.२०

डॉ. लक्ष्मणदत्त किराइ (RJ0193), विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-03, जयपुर महानगर-II को दिनांक 23.06.2020 से 26.06.2020 तक ०४ दिवस का परावर्तित अवकाश दिनांक 27.06.2020 से 28.06.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

डॉ. किराइ की अनुपस्थिति में विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-01, जयपुर महानगर-II ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-03, जयपुर महानगर-II के पद पर ही की गई।

आज्ञा से
०४.०६.२०२०
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(४)/३२/१९९३/-३।००

दिनांक : ०४.०६.२०२०

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

- प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-03, जयपुर महानगर-II को उनके पत्रांक 66 दिनांक 29.06.2020 के सन्दर्भ में।
- डॉ. लक्ष्मणदत्त किराइ (RJ0193), विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-03, जयपुर महानगर-II।
- विशेष न्यायाधीश, विशेष न्यायालय, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 तथा बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 क्रम-01, जयपुर महानगर-II।

सहायक रजिस्ट्रार